

अहकाम
की तामील

10 प्राप्ति वमील उपरिपत्र। विपरीत
संख्या-1 के वमील उपरिपत्र।
आपदा उत्पन्न हेतु रतन याद
है। जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक
लोक अदालत केम्य 8/5/18 को
पेश है।

सहायक क्लर्क
(S.D.O.) बालोकरा

8/5/18

प्राप्ति वमील उपरिपत्र। पत्रावली
संख्या लोक अदालत केम्य लोक
अदालत रोज के पेश हुई। पत्रावली
आपदा दिनांक विधि हेतु 21/5/18
को पेश है।


पत्रावली

21/5/18

पत्रावली पेश हुई। प्राप्ति उपरिपत्र
विपरीत नोटि देर के बाबजूद
अनुपस्थित। आर. आई दुधवा से
रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्ति वमील में
बदल सुनी गयी। पत्रावली का अन्वेषण
व अध्ययन किया गया। प्राप्ति ने
सरहद मौजा खारसी टाजी के ख. नं.
125, 126, 231/106 से ख. नं. 230/106
में आवागमन हेतु सर्बजनिक रास्ता का
दर्ज करने का आवेदन किया गया। मौजा
प्राप्त अनुसार बिन्दू में व परिशिष्ट में के
अनुसार बिन्दू में सर्बजनिक सड़क है। जहां
से बिन्दू में से सी, ख. नं. 125 राजमीप

राजमीप

पत्रावली



डि. डि.
राजमीप



डि. डि. पत्रावली

शुभे है। जिलाका रास्ता हेतु रकबा
 0.16 बनता है। बिन्दु "सी" से ए.डी.
 ए.नं० 126 रकबा 207-02 बीघा जिला
 से सी.से डी. रास्ता 2.11 बीघा बनता
 है। ए.नं० 231/106 रकबा 30 बीघा में
 बिन्दु ड से ए रास्ते हेतु 0.14 बीघा,
 ए.नं० 230/106 रकबा 128.04 बीघा में
 से बिन्दु "ई" से डी तक 2.02 बीघा रास्ते हेतु
 ए.नं० 108 रकबा 92-03 बीघा में से बिन्दु
 "ए" से "जी" तक 2.12 बीघा रास्ते
 हेतु बनता है। गौना रिपोर्ट अनुसार
 ए.नं० 231/106, 230/106, 108 के स्वतंत्र
 के रास्ते हेतु सहायि प्रमट की है।
 ए.नं० 126 रकबा 2.11 में आपली सहायि
 नहीं बनने व फेज के दौरान अनुपस्थित
 रहने से उक्त रकबा बिना सहायि
 रास्ता हेतु दिया जाना उचित प्रतीत
 होता है।


अतः प्रपोजिग का प्रपिना पत्र स्वीकार
 किया जाकर संरक्षक भोजा स्वरकी टापी
 के ए.नं० 125 से 0.14, ए.नं० 126
 से से 2.11, ए.नं० 230/106 से से 2.02,
 ए.नं० 231/106 से से 0.14, ए.नं० 108 में
 से 2.12 बीघा सहायि के रास्ता बंधित
 करने के आदेश दिए जाते हैं। ए.नं०
 126 रकबा 207.02 के स्वतंत्र गोभाराम
 जोरबनराम, मेहराराम, पिलराम, विरमाराम
 बीछे केनी पतिन वीरमाराम 1224/4442
 श्रीरामराम / वगताराम 843/4442 धुरा, रतना
 प्रियराम अंगना 2071/4442 जाति जाट

(मागीरय सिग)
 श्री लोक न्यायालय / कोर्ट कैंप, 2011
 कपी एवं पढ़ने संभाल

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

मिासी खारमी शही को रकबा 2-11
डी. लाप. सी 47 4601-प्राति लीष्य सी
दर से शही 44. 523 सी इगनी शही
890 46 शहरे, निव्वासी ह्जार चिधापीस
सपथे, ख० न० 126 के खातेदारान को
शुगतान कर रसीदे पेश करे।
सखी-धत खातेदार शुगतान लेने से
इन्मार करने पर इन्त शही तहसील
फचपदरा के कारखाना में जमा करावे
शही शुगतान। जमा होने पर इन्त
खसरान की शूमि में रास्ते का
अजयदरामद जरमीन कर इन्त शूमि
खातेदारों की खातेदारी से कम ^{रास्ता} कर
सखारी खाते में गैर शुभमीन दर्ज
करे। निनीप सखत्य लोक अदालत
केम्प में सुनाया गया।
खानली पैदल शुगत होकर
शारील शफतर हो।


(भागीरथ सक्सेना)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..